न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —29 / 2015 अपील (RCMS/2015/00021)
पंजीयन दिनांक —06.08.2015
निर्णय दिनांक —31.12.2018

1. श्री एकलिंग सिंह पिता श्री लाल सिंह राजपूत, निवासी तालेड़ी, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री गोपाल सिंह पिता श्री नवल सिंह राजपूत, निवासी तालेड़ी, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री प्रहलाद सिंह पिता श्री नरबे सिंह राजपूत, निवासी तालेड़ी, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती श्याम कंवर पिता श्री नरबे सिंह राजपूत, निवासी तालेड़ी, पत्नि श्री दलपत सिंह राजपूत, निवासी खोर ग्राम पंचायत जालमपुरा, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
4. ग्राम पंचायत बोरदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बोरदा, पंचायत समिति गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—

1. श्री संजय सेन — वकील अपीलान्ट
2. श्री पी.सी.पालीवाल — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, गंगरार प्रकरण संख्या 01 / 2012 दिनांक 06.03.2012

निर्णय

दिनांक 31.12.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, गंगरार प्रकरण संख्या 01/2012 दिनांक 06.03.2012 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा तालड़ी पटवार हल्का बोरदा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के खाता संख्या 11 में वर्णित आराजी नम्बर 82–0.25 है., 83–0.22 है., 85–0.32 है., 202–0.09 है., 204–0.28 है., 205–0.20 है., 208–0.45 है., 210–0.57 है., किता 8 रकबा 2.38 हैक्टेयर भूमि श्री मोड़सिंह पिता प्रतापसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। श्री मोडसिंह ने के तीन पुत्र हुए श्री लालसिंह, श्री नवलसिंह (नोलसिंह) एवं श्री नरबे सिंह। श्री मोड़सिंह की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत बोरदा द्वारा नामान्तरकरण संख्या–53 दिनांक 06.02.1970 से उक्त भूमि विरासत से श्री लालसिंह एवं श्री नरबे सिंह के नाम रेकर्ड में दर्ज करने की स्वीकृत दी। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के दौरान श्री नवल सिंह (नोलसिंह) को गोद जाना बताकर उसका नाम नामान्तरकरण से हटा दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नवलसिंह (नोलसिंह) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री लालसिंह द्वारा कपटपूर्वक उसको गोद जाना बताकर नामान्तकरण से उसका नाम हटा दिया जबकि श्री नरबे सिंह स्व. श्री गोविन्दसिंह के गोद गये थे। साथ ही श्री नरबे सिंह द्वारा कथित हक त्याग कर अपने हिस्से की भूमि को श्री लालसिंह के नाम कर दी और श्री लालसिंह उक्त भूमि के अकेले वारिस बन बैठे। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर उक्त श्री लालसिंह एवं श्री नवलसिंह दर्ज करने की स्वीकृति दी जावें।

उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा निर्णय दिनांक 18.01.2012 से श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नवल सिंह की अपील स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार, गंगरार को रिमाण्ड किया और कथन किया कि–

> "हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सूनी, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया और उस पर मनन किया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलान्ट नवलसिंह जो कि मोड़सिंह पिता प्रतापसिंह का जायन्दा पुत्र है तथा स्व. मोड़सिंह पिता प्रतापसिंह की सम्पत्ति का प्रथम श्रेणी का वारिस है जिसका कही गोद जाना प्रमाणित नहीं है तथा वकील रेस्पोडेंट द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई उजर, एतराज नहीं किया गया तथा स्व. गोविन्दसिंह जी की मृत्यु के उपरान्त उनकी सम्पत्ति गोदपुत्र की हैसियत से नरबे सिंह के नाम भी दर्ज है जिससे श्री नरबेसिंह का स्व. श्री गोविन्दसिंह के गोद जाना प्रमाणित है ऐसी स्थिति में स्व. मोड़सिंह पिता प्रतापसिंह के शेष दो वारिस श्री लालसिंह व नवलसिंह ही होते है और स्व. मोड़सिंह पिता प्रतापसिंह जी की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी प्रथम श्रेणी के वारिस लालसिंह व नवलसिंह होने से मृतक खातेदार की विरासत अपने नाम करवाने के अधिकारी रहते है जिससे ग्राम पंचायत बोरदा द्वारा फैसल किया गया विवादित नामान्तरकरण 53 दिनांक 06.02.1970 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, गंगरार को

रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त ऑब्जरबेशन को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।''

उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, गंगरार द्वारा प्रकरण दर्ज कर साक्ष्यों का अवलोकन कर निर्णय दिनांक 06.03.2012 पारित किया और मौजा तालेडी, प.ह. बोरदा की उपरोक्त आराजीयात की भूमि श्री एकलिंगसिंह पिता लालसिंह राजपूत के बजाय 1/2 हक से श्री गोपालसिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी तालेडी का नाम व 1/2 हक से श्री एकलिंगसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी तालेडी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय दिनांक 06.03.2012 से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 17.12.2018 को सुनी गई। दीगर रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि श्री गोपालसिंह का यह कथन सर्वथा मिथ्या एवं तथ्यों के विपरित है कि उसके पिता श्री नवलसिंह स्व. बरदीचन्द के गोद नहीं गये, चूंकि गोद चले जाने के कारण ही श्री नवलसिंह ने नामान्तरकरण संख्या 53 जो दिनांक 06.02.1970 को स्वीकृत हो गया था, के बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं की और अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध कोई अपील नहीं की। परन्तु लोभ–लालच एवं अन्य कारणों से रेस्पोडेंट गोपालसिंह ने 41 वर्ष बाद गलत तथ्य बताकर यह अपील की जो मान्य नहीं है। श्री नवलसिंह श्री बरदसिंह के गोद लिये गये थे, उसकी मृत्यु उपरान्त उसके धार्मिक कार्यक्रम व अस्थि विसर्जन श्री नवलसिंह द्वारा हरिद्वार में अपने खानदानी पंडित श्री मुधसूदन के पास गये थे जिसका हवाला उनकी पोथी में है। श्री बरदसिंह की मृत्यु उपरान्त श्री नवलसिंह उसकी सम्पूर्ण जायदाद का उपयोग उपभोग कर रहा है। यह अपील अवधि पार प्रस्तुत की गई जिसका पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण यह है कि अपीलान्ट ने अपील हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु श्री अशोक कुमार जागेटिया को अपना वकील नियुक्त किया था, जिनके पैशियों पर जाने आश्वासन दिये जाने से निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी और जानकारी होते की अपील प्रस्तुत की गई। जिस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम अपील के साथ संलग्न किया गया। अन्त में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.03.2012 निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया है।

Web Copy - Not Official

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने मिली भगत से विवादित नामान्तकरण संख्या 53 श्री लालसिंह व नरबे सिंह के नाम स्वीकृत किया जबकि वास्तविकता में श्री नवलसिंह कभी भी गोद नहीं गये थे बल्कि श्री नरबे सिंह श्री गोविन्द सिंह के गोद गये थे। श्री गोविन्द सिंह की मृत्यु उपरान्त उनकी सम्पत्ति श्री नरबे के नाम गोदपुत्र के नाते दर्ज की गई जो नामान्तरकरण से प्रमाणित है। जहां तक मयाद का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी समक्ष अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री अशोक जागेटिया ने प्रार्थना पत्र कोई एतराज नहीं किया जो निर्णय के अवलोकन से प्रमाणित होता है। श्री मोडसिंह ने के तीन पुत्र हुए श्री लालसिंह, श्री नवलसिंह (नोलसिंह) एवं श्री नरबे सिंह। श्री मोड़सिंह की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत बोरदा द्वारा नामान्तरकरण संख्या–53 दिनांक 06.02.1970 से उक्त भूमि विरासत से श्री लालसिंह एवं श्री नरबे सिंह के नाम रेकर्ड में दर्ज करने की स्वीकृत दी। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के दौरान श्री नवल सिंह (नोलसिंह) को गोद जाना बताकर उसका नाम नामान्तरकरण से हटा दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री नवलसिंह (नोलसिंह) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री लालसिंह द्वारा कपटपूर्वक उसको गोद जाना बताकर नामान्तकरण से उसका नाम हटा दिया जबकि श्री नरबे सिंह स्व. श्री गोविन्दसिंह के गोद गये थे। साथ ही श्री नरबे सिंह द्वारा कथित हक त्याग कर अपने हिस्से की भूमि को श्री लालसिंह के नाम कर दी और श्री लालसिंह उक्त भूमि के अकेले वारिस बन बैठे। उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.01.2012 से श्री नवलसिंह को जायन्दा पुत्र माना एवं नरबेसिंह का गोद जाना पाकर प्रकरण तहसीलदार, गंगरार को रिमांड किया। उक्त निर्णय दिनांक 18.01.2012 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। ना ही अपीलान्ट द्वारा नवलसिंह के गोद जाने के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर्ड गोदनामा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत कारण संतोषजनक नहीं होकर मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार के आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये– RBJ 2007 SC P 438, RRT 2010(2) P. 801(HC), RRT 2011(2) P. 851(HC), RBJ 2017 P. 122 (HC), RRD 1986 P. 10.

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अध्ययन किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपील हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु श्री अशोक कुमार जागेटिया को अपना वकील नियुक्त किया था, जिनके पैशियों पर जाने आश्वासन दिये जाने से निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी और

जानकारी होते की अपील प्रस्तुत की गई। विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। अपील देरी में प्रस्तुत कारण उचित नहीं है। हमनें मयाद के बिन्दु पर वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट–1 की बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत मयाद कन्डोन से सम्बन्धित न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण से सुसंगत है तथा इस प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किये जाने के लिए प्रस्तुत कारण संतोषजनक एवं उचित प्रतीत नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के बावजुद प्रश्नगत अपील में तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर भी मनन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री मोडसिंह ने के तीन पुत्र हुए श्री लालसिंह, श्री नवलसिंह (नोलसिंह) एवं श्री नरबे सिंह। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.01.2012 में पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच उपरान्त श्री नरबेसिंह का स्व. श्री गोविन्दसिंह के गोद जाना जाहिर किया है। स्वर्गीय गोविन्दसिंह की मृत्यु उपरान्त उनकी सम्पत्ति श्री नरबेसिंह के नाम गोदपुत्र की हैसियत से दर्ज है। श्री मोडसिंह के जायन्दा पुत्र श्री नवलसिंह का कही भी गोद जाना प्रमाणित नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा श्री नवलसिंह के गोद जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत गोदनामा एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। ऐसी स्थिति में स्व. श्री मोड़सिंह की सम्पत्ति में उसके दोनों पुत्र श्री लालसिंह एवं श्री नवलसिंह प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उत्तराधिकारी है और उसकी सम्पत्ति अपने नाम करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार द्वारा साक्ष्यों का अवलोकन कर निर्णय दिनांक 06.03.2012 पारित किया और मौजा तालेडी, प.ह. बोरदा की उपरोक्त आराजीयात की भूमि श्री एकलिंगसिंह पिता लालसिंह राजपूत के बजाय 1/2 हक से श्री गोपालसिंह पिता नवलसिंह राजपूत निवासी तालेडी का नाम व 1/2 हक से श्री एकलिंगसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी तालेडी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण विवेचना, विधिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार का निर्णय दिनांक 06.03.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official